न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

(पीठासीन अधिकारी–जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :–75 / 2021

वादीनी	बनाम	प्रतिवादीगण
नथू देवी पुत्री भूराराम पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर तहसील सिणधरी हाल निवासी विरेन्द्रनगर, बायतु भीमजी, तहसील बायतु		1. सताराम पुत्र मंगलाराम 2. किरताराम पुत्र मंगलाराम 3. भीयाराम पुत्र मंगलाराम 4. मगाराम पुत्र मंगलाराम 5. पूनमाराम पुत्र मंगलाराम 6. रेखाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर तहसील सिणधरी 7. तहसीलदार सिणधरी 8. मालूदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया तहसील सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित:– 1. श्री बींजाराम गोदारा वकील वादीनी।
2. सुश्री गजेन्द्रकंवर वकील प्रतिवादी सं. 8 की ओर से।
3. पैरोकार सरकार उप.।
4. शेष प्रतिवादी एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 26.11.2024

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 78 व 118 कुल रकबा 231–15 बीघा एवं ग्राम ख[illegible]ल सिणधरी की खसरा संख्या 27,28,29 व 189 / 328 कुल रकबा 101–11 बीघा वादिनी [illegible] प्रतिवादी सं. 1 से 6 की पैतृक सम्पति की संयुक्त हक एवं कब्जा काश्त की थी। उक्त भूमि का पर्चा लगान वक्त बंदोबस्त वादिनी के पिता एवं प्रतिवादी सं. 1 से 6 के [illegible]नामह भूरा के नाम जारी हुआ। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि में 1 / 2 हिस्सा वादिनी का एंव 1 / 12–1 / 12

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर SDO सिणधरी

हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 से 6 प्रत्येक की था। वादिनी अपने 1/2 हिस्से की भूमि पर काबिज होकर काश्त करती आ रही है। भूराराम के फौत होने पर प्रतिवादी सं. 1 से 6 के पिता मंगलाराम ने स्वयं को भूराराम का इकलौता वारिस बताकर जरिये नामान्तकरण उक्त भूमि अपने अकेले के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा ली और मंगलाराम के वारिसान– प्रतिवादी सं. 1 से 6– ने मंगलाराम के दिनांक 21.08.1998 को फौत होने पर अपने नाम समग्र खातेदारी बहिस्सा बराबर दर्ज करवा ली। इस प्रकार वादिनी बहैसियत वारिस भूराराम अपने 1/2 हिस्से की वादग्रस्त भूमि में हकदार होने के बावजूद अपने खातेदारी हकों से महरूम हो गयी और वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 6 का 1/6–1/6 हिस्सा के खातेदार के रूप में नाम दर्ज हो गया। प्रतिवादी सं. 4 ने वाद्रस्त भूमि में स्वयं की 1/12 हिस्से के स्थान पर 1/6 हिस्से की प्रविष्टि अंकित होने का लाभ उठाकर ग्राम त्रिशुलिया की खसरा संख्या 118 के 1/6 हिस्से का बेचान जरिये रजिस्ट्री प्रतिवादिनी सं. 8 को कर दिया। उक्त खसरे में 1/12 हिस्से से उसे 8–12 बीघा भूमि बेचने का अधिकार था, किंतु उसने 1/6 हिस्से से भूमि का बेचान कर दिया। अतः वादिनी ने समस्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने, अपने 1/2 हिस्से की भूमि पृथक करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्व अपने 1/2 हिस्से की भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किये जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया है।

वाद दर्ज कर जरिए सम्मन प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी सं. 1 से 6 के बावजूद सम्मन तामिल के अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 8 ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उसके ग्राम त्रिशुलिया के खसरा संख्या 118 रकबा 103–07 बीघा भूमि के सहखातेदार प्रतिवादी संख्या 4 से प्रतिफल की राशि रूपए तीन लाख अदा कर एवं कब्जा प्राप्त कर 17.05 बीघा भूमि क्रय की। वक्त खरीद से उक्त क्रयसुदा भूमि पर वादीनी की जानकारी में प्रतिवादी संख्या 8 का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी संख्या 8 खसरा संख्या 118 रकबा 103–07 बीघा भूमि में अपना 1/6 हिस्सा घोषित करवाते हुए वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध अपनी क्रयसुदा [illegible] किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करने की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी के वाद एवं प्रतिवादी संख्या 8 के जवाब के आधार पर निम्नानुसार तनकियात कायम की गई–

1. आया कि वादग्रस्त भूमि तहसील सिणधरी की ग्राम त्रिशुलिया के खेत खसरा संख्या 78 व 118 संयुक्त रकबा 231–15 व ग्राम धोलाडेर के खेत खसरा संख्या 27, 28,

SDO सिणधरी

29 संयुक्त रकबा 87.06 बीघा में वादीनी का 1/2 हिस्सा सहखातेदार घोषित करवाने की अधिकारीणी है। जिम्मे–वादी

2. आया कि वादग्रस्त भूमि में बाद घोषणा खातेदारी वादी का हिस्सा 1/2 बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड विभाजन कर पृथक करवाने की अधिकारीणी है। जिम्मे–वादी

3. आया कि वादग्रस्त भूमि में वादी अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है। जिम्मे वादी

4. आया कि वादीनी के पिता का देहांत आज से करीब 54 वर्ष पूर्व होने के बावजूद वादीनी द्वारा आजतक उजर एतराज पेश नहीं किया गया तथा वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा अपने विधिक हक हिस्से का बैचान प्रतिवादी संख्या 8 को कर दिया गया जिसका नामांतरकरण की कार्यवाही रूकवाने बाबत्। वादीनी द्वारा मनगढंत तथ्यों के आधार पर वाद पेश किया गया। जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 8

5. आया कि वादग्रस्त भूमि पर वादीनी का किसी प्रकार का कब्जाकास्त नहीं हैं एवं भूमि प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा खरीदसुदा एवं निर्बाद रूप से कब्जाकास्त है। जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 8।

6. आया कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 8 अपने पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की हकदार है। जिम्मे–प्रतिवादी संख्या 8

वकील वादीनी ने अपने वाद कथन के समर्थन में श्रीमनी नथुदेवी पी.डब्लू–01 व वीरमाराम पी.डब्लू–02 को परीक्षित करवाया एवं दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम धोलाडेर की खसरा संख्या 27, 28, 29 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श पी–01, खसरा संख्या 29 का नक्शा प्रदर्श पी–02, खसरा संख्या 27 का नक्शा प्रदर्श पी–03, खसरा संख्या 28 का नक्शा प्रदर्श पी–04, ग्राम खरंटिया वर्तमान ग्राम धोलाडेर की खतौनी संवत् 2020–23 प्रदर्श पी–05, मंगला की फौतेदगी पर दायर ना.क.स. 14 मौजा धोलाडेर प्रदर्श पी–06, भूरा की फौतेदगी पर दायर ना.क.स. 40 मौजा खरंटिया प्रदर्श पी–07, ग्राम त्रिशुलिया की खसरा संख्या 78 व 118 की जमाबंदी संवत् 2076–79 प्रदर्श पी–08, खसरा संख्या 78 का नक्शा प्रदर्श पी–09, खसरा संख्या 118 का नक्शा प्रदर्श पी–10, मंगला की फौतेदगी पर दायर ना.क.स. 77 मौजा त्रिशुलिया प्रदर्श पी–11, ग्राम त्रिशुलिया की खसरा संख्या 78 व 118 संवत् 2057–60 प्रदर्श पी–12, मौजा त्रिशुलिया की खसरा संख्या 78 व 118 की खतौनी बंदोबस्त प्रदर्श पी–13, वादीनी का जनआधार कार्ड प्रदर्श पी–14, नथुदेवी का आयकर पेनकार्ड प्रदर्श पी–15 व नथुदेवी का आधार कार्ड प्रदर्श पी–16 प्रस्तुत किया। जबकि प्रतिवादी संख्या 8 की ओर से मालूदेवी डीडब्लू–01, भीखाराम डीडब्लू–02 को परीक्षित करवाया गया तथा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी मौजा त्रिशुलिया खसरा संख्या 118 प्रदर्श डी–01 एवं नक्शा खसरा संख्या 118 प्रदर्श डी–02 प्रस्तुत किए गए।

दोनों पक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादीनी की बहस है कि ग्राम त्रिशुलिया के खसरा संख्या 78 व 118 तथा मौजा धोलाडेर के खसरा संख्या 27, 28 व 29 वक्त बंदोबस्त वादीनी के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पितामह भूराराम के नाम खातेदारी में दर्ज हुई थी, जिनके वक्त फौतेदगी– वादीनी नथुदेवी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता मंगलाराम थे। मुतवफी भूराराम मृत्यु के दौरान जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित होते थे। राजस्थान कास्तकार अधिनियम की धारा 40 के अनुसार किसी मृत निर्वसियती की मृत्यु के बाद उसके वारीसाना हक उसी विधि से अंतरित होंगे, जिसके कि वह मृत्यु के समय अध्यधीन था। भूराराम वक्त मृत्यु हिन्दु विधि से शासित होने से उनके वारिसाना हक हिन्दु विधि के अनुसार वारिसान में निहित होंगे। किन्तु उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मृत हिन्दु के प्रथम अनुसूची के वारिस उसकी पत्नी, तमाम पुत्र एवं पुत्रियां बहिस्सा बराबर उसकी समस्त चलाचल संपत्ति के हकदार होते है। चूंकी भूराराम के वारिसान में पुत्र मंगलाराम एवं पुत्री नथुदेवी थे। अतः उनकी संपत्ति पर उनके दोनों वारिसान पर निस्फानिस्फ हक होगा। नामांतरकरण प्रक्रिया में बरती गई त्रूटी से भूराराम के स्थान पर वादग्रस्त भूमि मंगलाराम के अकेले के नाम तथा मंगलाराम के फौत होने पर उनके पुत्रों प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के नाम दर्ज हो गई। जबकि वास्तव मे वादग्रस्त भूमि में वादीनी का 1/2 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का 1/12–1/12 हिस्सा था। किन्तु वादग्रस्त खसरा संख्या 78 रकबा 128.08 बीघा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 4 ने 1/12 हिस्सा के बजाए 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 को बैचान कर दिया। इस प्रकार वादीनी नामांतरकरण प्रक्रिया की त्रुटि से वादग्रस्त भूमि में निहित अपने 1/2 हिस्से से महरूम हो गई। अतः वादीनी वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा अपनी खातेदारी में घोषित करवाने तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध अपने 1/2 हिस्से की खातेदारी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारीणी है। [illegible] बाद में 1/2 हिस्से की भूमि विभाजित किए जाने की इस्तदुआ चाही [illegible] किन्तु [illegible] राने बहस उन्होंने अपनी विभाजन की इस्तदुआ विड्रो कर दी थी।

वकील प्रतिवादी संख्या 8 की बहस है कि प्रतिवादी [illegible] ने प्रतिवादी संख्या 4 से जरिए बाद जाब्ता रजिस्ट्री खसरा संख्या 118 की 17–05 बीघा भूमि क्रय की थी और पूर्ण प्रतिफल की राशि अदा कर कब्जा प्राप्त किया था। वक्त क्रय से प्रतिवादी संख्या 8 अपनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

क्रयसुदा भूमि पर काबिज होकर कास्त करती आ रही है। अतः क्रयसुदा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 की खातेदारी में घोषित की जावे तथा वादिनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरूद्ध अपने कब्जा कास्त में हस्तक्षेप नहीं किए जाने की आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे। अपनी बहस में वकील प्रतिवादी संख्या 8 ने भी विभाजन की इस्तदुआ विड्रो किए जाने का निवेदन किया।

हमने दोनों पक्षों की बहस पर मनन, पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन, तथ्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार विवेचन किया।

तनकी संख्या 01– वादीनी की वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित किए जाने की इस्तदुआ से संबद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा वादीनी पर है। यह तथ्य निर्विवाद रूप से साबित है कि वादीनी मुतवफी भूराराम की जाईंदा पुत्री है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के पिता मंगलाराम भूराराम के पुत्र थे। भूराराम जाति से जाट होने से हिन्दु विधि से शासित थे। और हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार भूराराम के उक्त दोनों वारिस भूराराम की मृत्यु के बाद बहिस्सा बराबर संपत्ति के हकदार थे। इस प्रकार मंगलाराम की मृत्यु के बाद समस्त वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा वादीनी का एवं 1/12–1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक का है। वादग्रस्त भूमि का नामांतरकरण मंगलाराम अकेले का नाम पारित होने से वादीनी के वादग्रस्त भूमि में निहित 1/2 हिस्से के हक समाप्त नहीं हो जाते है। इस प्रकार वादीनी वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित करवाने की अधिकारीणी है। लिहाजा तनकी संख्या 01 वादीनी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02– वादीनी अपना 1/2 हिस्सा विभाजित करवाने की इस्तदुआ से संबद्ध है। चूंकि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 8 दौराने बहस अपनी विभाजन की इस्तदुआ विड्रो कर चुके है। अतः इस तनकी के विवेचन का कोई औचित्य नहीं है। लिहाजा तनकी संख्या 2 निरस्त की जाती है।

तनकी संख्या 3– वादीनी की स्थाई निषेधाज्ञा से संबद्ध है। चूंकि तनकी संख्या 01 में वादीनी स्वयं को समग्र वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्से की [illegible] घोषित करवाने में सफल हो चुकी है। अतः उसके पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी [illegible] में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा तनकी संख्या 03 वादीनी के पक्ष में [illegible] की जाती है।

तनकी संख्या 04 से 06– प्रतिवादी संख्या 8 की अपनी [illegible]सुदा भूमि की दावेदारी, उक्त भूमि पर अपना कब्जा काश्त होने तथा स्थाई निषेधाज्ञा से संबद्ध है, जिसे सिद्ध करने का जिम्मा प्रतिवादी संख्या 8 पर है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के अवलोकन से

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सिणधरी

स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 8 ने प्रतिवादी संख्या 4 से खसरा संख्या 118 की 17–05 बीघा भूमि जरिए रजिस्ट्री बैचान क्रय की थी। उक्त भूमि का विधिवत् कब्जा प्राप्त किया और प्रतिफल की राशि प्राप्त की। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 8 को उसके क्रयसुदा भूमि के अधिकारों से वंचित किया जाना न्यायोचित नहीं समझती। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाना आवश्यक समझती है कि बैचान की गई भूमि बैचान कर्ता के हिस्से से कम हो और किसी भी खातेदार की इस बैचान से कोई क्षति नहीं हों। अतः प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा खसरां संख्या 118 में अपना 1/12 हिस्सा होने के बावजूद 1/6 हिस्सा बैचान किए जाने के कारण उसके द्वारा अधिक की गई भूमि इसी ग्राम त्रिशुलिया के अन्य खसरा संख्या 78 की भूमि में से कम किए जाने से किसी भी हितबद्ध व्यक्ति की क्षति नहीं होगी और वादीनी का समग्र वादग्रस्त भूमि में निहित 1/2 हिस्सा भी उससे प्राप्त हो जाएगा। ऐसी सूरत में प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा क्रय की गई 17–05 बीघा भूमि उसकी खातेदारी में दर्ज किए जाने एवं प्रतिवादी संख्या 08 के कब्जा काश्त में दखलंदाजी नहीं किए जाने के आशय की शेष खातेदारान के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीनी समस्त वादग्रस्त भूमि में अपना 1/2 हिस्सा घोषित क़रवाने तथा स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारीणी है तथा प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा क्रयसुदा भूमि 17–05 बीघा भूमि मौजा त्रिशुलिया अवस्थित खसरा संख्या 118 व 78 में निहित प्रतिवादी संख्या 4 के हक की भूमि में से कम किए जाने से किसी भी हितबद्ध खातेदार के हकों पर किसी प्रकार का विपरित प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

लिहाजा वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 8 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 78 रकबा 128.08 बीघा भूमि में 728/1284 हिस्सा वादीनी की, 21/1284 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 4 की तथा 107/1284–107/1284 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी ग्राम की खसरा संख्या 118 रकबा 103.07 बीघा भूमि में 862/2067 हिस्सा वादीनी की, 345/2067 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 08 की तथा 172/2067–172/2067 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। ग्राम धोलाडेर तहसील सिणधरी [illegible] संख्या 27, 28 व 29 कुल रकबा 87–06 बीघा भूमि में वादीनी [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ सहखातेदार करार करते हुए 1/2 हिस्सा वादीनी की एवं 1/12–1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद सुनिश्चित किए जाने के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

1 से 6 के विरुद्ध वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 8 के कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 26.11.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,सिणधरी

पीठासीन अधिकारीः— श्री जगदीशसिंह आशिया, आर.ए.एस.

उनवान

वादीनी — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

नथू देवी पुत्री भूराराम पत्नी मूलाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर तहसील सिणधरी हाल निवासी विरेन्दनगर, बायतु भीमजी, तहसील बायतु

1. सताराम पुत्र मंगलाराम
2. किरताराम पुत्र मंगलाराम
3. भीयाराम पुत्र मंगलाराम
4. मगाराम पुत्र मंगलाराम
5. पूनमाराम पुत्र मंगलाराम
6. रेखाराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर तहसील सिणधरी
7. तहसीलदार सिणधरी
8. मालूदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी धोलाडेर, खरंटिया तहसील सिणधरी

दावा बाबतः— 53,88,188 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर :—75/2021
निर्णय दिनांक :— 26.11.2024

वादीनी की ओर से श्री बींजाराम गोदारा अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 8 की ओर से सुश्री गजेन्द्रकंवर अधिवक्ता एवं प्रतिवादी सं. 7 के पैरोकार सरकार की उपस्थिति तथां शेष के एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 26.11.2024 को श्री जगदीशसिंह आशिया (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**— लिहाजा वादीनी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 8 का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जाकर ग्राम त्रिशुलिया तहसील सिणधरी के खसरा संख्या 78 रकबा [illegible]-08 बीघा भूमि में 728/1284 हिस्सा वादीनी की, 21/1284 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 8 की तथा 107/1284—107/1284 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। इसी ग्राम की खसरा संख्या 118 रकबा 103.07 बीघा भूमि में 862/2067 हिस्सा वादीनी की, 345/2067 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 08 की तथा 172/2067—172/2067 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 5 व 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता है। ग्राम धोलाडेर तहसील सिणधरी की खसरा संख्या 27, 28 व 29 कुल रकबा 87—06 बीघा भूमि में वादीनी को प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के साथ सहखातेदार करार करते हुए 1/2 हिस्सा वादीनी की एवं 1/12—1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 से 6 प्रत्येक की खातेदारी में घोषित किया जाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

है। तहसीलदार सिणधरी को इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद के आदेश दिए जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के विरुद्ध वादीनी एवं ... कब्जा काश्त में हस्तक्षेप नहीं किए जाने के आशय की स्थायी निषेधाज्ञा ... खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 26.11.2024 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय ... लगाकर दी गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण	रूपया	प्रतिवादीगण	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3.प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4.........रूपये पर प्लीडर की फीस 5.साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6.कमिश्नर की फीस 7.आदेशिका की तामिल		1.शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 2.अर्जी के लिए स्टाम्प 3.प्लीडर की फीस 4.साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय 5.आदेशिका की तामील 6.कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.12.22 16:47:57 IST
Reason: SelfAttested